दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड।

बनाम

दी वर्कमेन एवं अन्य

14 अक्टूबर, 1966

(के. एन. वांचू और जी.के. मित्तर, जे.जे.)

औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का 14) धारा 10(1)- औद्योगिक न्यायाधिकरण-औद्योगिक विवाद के संदर्भ के क्रम के संबंध में क्षेत्राधिकार की सीमाएँ - ''प्रासंगिक'' जिसका अर्थ है।

दिल्ली क्लॉथ मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स (एक ही कंपनी की दो इकाइयों) के प्रबंधकों और उनके श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवादों से उत्पन्न चार विवाद्यकों को औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा गया था। संदर्भ के आदेश में विवाद्यक 3 में सवाल उठाया कि क्या दिल्ली क्लॉथ मिल्स में हडताल और प्रबंधन द्वारा घोषित तालाबंदी उचित और कानूनी थी और विवाद्यक 4 यह है, क्या स्वतंत्र भारत मिल्स में धरना देना उचित और कानूनी था। जहां तक इन विवाद्यकों का संबंध है, प्रबंधन का तर्क था कि विवाद्यकों को इस आधार पर तैयार किया गया था कि दोनों इकाइयों पर हडताल हुई थी, और न्यायाधिकरण को केवल उक्त हडतालों की वैधता और औचित्य से संबंधित निर्णय के लिए प्रश्न भेजे गए थे। जहां तक बोनस तालिका की गणना से संबंधित विवाद्यक 1 का संबंध है, प्रबंधन का

मामला यह था कि प्रबंधन और श्रमिकों के संघों के बीच विभिन्न तिथियों पर समझौते हुए थे और उन समझौतों को देखते हुए इस मामले को पुनः खोलने के लिए श्रमिकों के लिए विकल्प नहीं था। न्यायाधिकरण ने प्रबंधन की याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि श्रमिकों द्वारा की गई हडतालों का अस्तित्व विवादित था, इसलिए यह तय करना उसका कर्तव्य और उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा कि क्या मिल्स पर हड़तालें हुई थी, ऐसा करने में, यह संदर्भ के दायरे और सीमा से परे नहीं जाएगा, और यह कि पक्षकारों

को हड़तालों के अस्तित्व की पुष्टि या इनकार में सबूत पेश करने की स्वतंत्रता होगी। बोनस से संबंधित विवाद्यक 1 के संबंध में, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यदि साक्ष्य लेने के बाद यह पाया जाता है कि प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट समझौतों के परिणामस्वरूप, दावा वर्जित था, तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस न्यायालय ने अपील में अभिनिर्धारित किया,

(1) विवाद्यक 3 और 4 का आधार यह था कि दोनों इकाइयों पर हड़तालें हुईं और प्रबंधन द्वारा एक पर तालाबंदी की घोषणा की गई। तैयार किए गए विवाद्यकों पर, श्रमिकों के लिए हड़ताल के अस्तित्व पर सवाल उठाने या प्रबंधन के लिए तालाबंदी की घोषणा से इनकार करने के लिए विकल्प नहीं होगा। पक्षकार न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसे तथ्य रख सकते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि निर्दिष्ट विवाद कोई औद्योगिक विवाद नहीं था, या हड़ताल और तालाबंदी की प्राथमिकता और वैधता पर अपने आचरण या अपने-अपने रुख की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी कि संदर्भ के आदेश को गलत तरीके से लिखा गया था और संदर्भ के आदेश का आधार चुनौती देने के लिए खुला था। इसलिए न्यायाधिकरण को इस आधार पर विवाद्यक 3 और 4 की जांच करनी पड़ी कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स में हड़ताल हुई और स्वतंत्र भारत मिल्स में धरना-प्रदर्शन हुआ, और जैसा कि संदर्भ के आदेश में कहा गया है, पूर्व के संबंध में तालाबंदी की घोषणा की गई थी, और प्रस्तुत किए गए

साक्ष्य पर निर्णय लिया जाना था कि हड़ताल और तालाबंदी उचित और वैध थी या नहीं। (887 जी.-एच ; 892 एफ-एच ; 893 ई-जी)

औद्योगिक न्यायाधिकरण को अपने निर्णय को संदर्भित विवाद के बिंदुओं और उससे संबंधित मामलों तक ही सीमित रखना चाहिए। यह संदर्भित किए गए विवाद के दायरे को बढ़ाने के लिये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि इसे अपना ध्यान विशेष रूप से उल्लिखित बिंदुओं और जो कुछ भी प्रासंगिक रूप से वहां है, तक ही सीमित रखना चाहिए। ''विवाद के लिए प्रासंगिक'' का मतलब है जो कुछ भी विवाद के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में है या विवाद से संबंधित है। जहां विवाद से संबंधित कुछ प्रासंगिकता इससे अनुबद्ध है, वहां विवाद एक मूलभूत वस्तु है।(887 सी-डी, ई-एफ)

एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम उनके कर्मकार। (1962) 2 एल. एल. 227 (एस. सी.) और सिंडिकेट बैंक बनाम इसके कर्मकार, (1966) 2 एल.एल.जे. 194 (एस. सी.),

समझाया गया।

(2) प्रथम विवाद्यक के संबंध में पक्षकारान् किसी करार से बाध्य नहीं थे और न्यायाधिकरण को इसके संबंध में किसी निष्कर्ष पर आने से पूर्व साक्ष्य लेनी चाहिये। (897 डी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: सिविल अपील संख्या 1964 के 2100 से 2102

निर्णयों और आदेशों से विशेष अनुमति द्वारा अपील (i) 1966 की संदर्भ संख्या 53 (दिल्ली प्रशासन) में विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली का दिनांकित 16 जून, 1966 और (ii) और (iii)और दिल्ली में पंजाब उच्च न्यायालय (सर्किट बेंच) में सिविल रिट याचिका संख्या 488-डी और 1966 की 122 क्रमशः दिनांकित 13 जुलाई 1966 और 12 अगस्त, 1966.

एम. सी. सीतलवाड, जी. बी. पाई, रामेश्वर डायल और रामेश्वर नाथ, अपीलार्थी के लिए (सभी अपीलों में)।

ए.एस.आर. चारी और एम.के. राममूर्ति, प्रत्यर्थी संख्या 1 (ए) के लिये (तीनों अपीलों में)।

एस. वेंकटकृष्णन और एन.के. भट्ट, प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए (तीनों अपीलों में)।

ए.सी. शुभ, राम किशन और एस.एस. खांडुजा प्रत्यर्थी संख्या 1 (सी) के लिये (तीनों अपीलों में)।

ए. एस. आर. चारी, डी.के. अग्रवाल और एम.वी. गोस्वामी, प्रत्यर्थी संख्या 1 (डी) और 1 (ई) के लिये (तीनों अपीलों में)।

डी. आर. गुप्ता और एच. के. पुरी, प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए (तीनों अपीलों में)

एस.एस. खांडुजा, प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए (तीनों अपीलों में)

एम.वी. गोस्वामी, प्रत्यर्थी संख्या 3 (ए) के लिए (तीनों अपीलों में)

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

मित्तर, जे. 4 मार्च, 1966 को औद्योगिक विवाद अधिनियम (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 10(1) और 12 (5) के तहत सचिव (उद्योग और श्रम), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के हस्ताक्षर द्वारा एक आदेश पारित कर उसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित कुछ मामलों का उल्लेख करते हुए विशेष औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये संदर्भित किया गया था। आदेश में दिए गए कथनों के अनुसार, अधिनियम की धारा 12 (4) के तहत सुलह अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट से दिल्ली प्रशासन को यह प्रतीत हुआ कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स के प्रबंधन और चार अलग-अलग संघों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उनके श्रमिकों के बीच एक औद्योगिक विवाद मौजूद था और मुख्य आयुक्त, दिल्ली उक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर संतुष्ट थे कि उक्त विवाद को एक औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए। अनुसूची में निर्दिष्ट संदर्भ की शर्तें नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं -

"1. क्या 30-6-1965 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए बोनस तालिका की गणना करते समय दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी की दो इकाइयों दिल्ली क्लॉथ मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स की पूंजी और रिजर्व के लिए पृथक-पृथक आवंटन किया जाना निष्पक्ष एवं तर्कसंगत हैं ? यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या निर्देश आवश्यक हैं ?

2. क्या इन मिलों के कर्मकार 30-6-1965 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए मजदूरी के 6 प्रतिशत से अधिक दर पर बोनस के हकदार हैं? यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्देश आवश्यक हैं?

3. क्या 24-2-1966 को दिल्ली क्लॉथ मिल्स में हडताल और प्रबंधन द्वारा घोषित तालाबंदी उचित और कानूनी है और क्या कर्मकार तालाबंदी की अवधि के लिए मजदूरी के हकदार हैं ?

4. क्या 23-2-1966 को स्वतंत्र भारत मिल्स में धरना-हडताल उचित और कानूनी है और क्या हडताल की अवधि के दौरान कर्मकार मजदूरी पाने के हकदार हैं?"

सुलह अधिकारी की रिपोर्ट से पता चलता है कि एक ही कंपनी की दो इकाइयों दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स में बोनस के दावे को लेकर परेशानी पैदा हो गई थी। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 23 फरवरी, 1966 को दोपहर 02:30 बजे बुलाई गई एक बैठक में, वर्क्स कमेटी ने सिफारिश की कि बोनस का भुगतान तब तक निलंबित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि पूरे विवाद्यक की सुलह या अन्यथा जांच न हो जाए। लेकिन इससे पहले कि इसकी घोषणा की जाती, श्रमिकों ने पहली नामित इकाई के मिल परिसर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और हिंसक हो गए। रिपोर्ट से उद्धृत:

> ‘‘जैसे ही मिल परिसर के अंदर स्थिति तनावपूर्ण हो गई और श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, प्रबंधन ने 23-2-1966 को शाम लगभग 4 बजे टरबाइन को बंद कर दिया। बाद में रात करीब 11 बजे प्रबंधन ने नोटिस लगाया कि मिलों में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हालात सामान्य होने तक मिलों में काम करना संभव नहीं है.....चूंकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और चूंकि मिल के अंदर मौजूद श्रमिकों ने मिल की संपत्ति को और अधिक नुकसान पहुंचाया था, इसलिए प्रबंधन ने 24 फरवरी, 1966 को शाम लगभग 6 बजे तालाबंदी की घोषणा कर दी।

.....हालाँकि, कर्मचारी प्रबंधन की तालाबंदी की घोषणा से काफी अशांत हैं।''

स्वतंत्र भारत मिल्स के संबंध में, रिपोर्ट इस प्रकार है:

''.....स्थिति शांतिपूर्ण है, हालांकि कर्मचारी 23 फरवरी, 1966 को शाम 7.30 बजे से हडताल पर हैं और हडताल अभी भी जारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका रवैया यह है कि डी.सी.एम. स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, वही स्वचालित रूप से उन पर भी लागू होगा। कर्मचारी तब तक काम शुरू करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, जब तक दिल्ली क्लॉथ मिल्स के कर्मचारी भी काम शुरू नहीं कर देते।''

रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि विवाद को अधिनियम की धारा 10(3) के तहत निषेधात्मक आदेश जारी करने के साथ-साथ निर्णय के लिए तुरंत न्यायाधिकरण में भेजा जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि संघ के नेताओं ने दबाव डाला था कि स्वतंत्र भारत मिल में हडताल की अवधि और दिल्ली कपड़ा मिल में तालाबंदी की अवधि के लिए श्रमिकों के मजदूरी के दावे का सवाल भी शामिल किया जाना चाहिए और गठित होने वाले न्यायाधिकरण को मामले में तुरंत आगे बढ़ना चाहिए।

प्रबंधन ने 9 अप्रैल, 1966 को विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मामले का एक बयान दायर किया और संघों ने 10 अप्रैल, 1966 और 13 अप्रैल, 1966 के बीच मामले के अलग-अलग बयान दायर किए। 21 मई, 1966 तक प्रतिकृतियां और प्रत्युत्तर थे।

3 जून 1966 को, कंपनी ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रार्थना की कि विवाद्यक 1, 3 और 4 (संदर्भ की शर्तों में निर्धारित) पर पक्षकारों को उनकी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाए जाने से पहले निर्णय लिया जा सकता है। विवाद्यक 3 और 4 के संबंध में, प्रबंधन का तर्क यह था कि इन दोनों मामलों का मूल आधार यह था कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स में हड़ताल थी और स्वतंत्र भारत मिल्स में धरना था और न्यायाधिकरण को संदर्भित किया गया एकमात्र प्रश्न इन हड़तालों के औचित्य और वैधता का निर्णय करना था। सभी चार संघों ने न्यायाधिकरण के समक्ष दलील दी कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स में कोई हडताल नहीं हुई थी। दो संघों का मामला यह था कि स्वतंत्र भारत मिल्स की हडताल दिल्ली क्लॉथ मिल्स के कामगारों के प्रति सहानुभूति के लिये थी, जबकि अन्य दो संघों का मामला यह था कि स्वतंत्र भारत मिल्स में तालाबंदी थी। पहले विवाद्यक के संबंध में, प्रबंधन का मामला यह था कि कंपनी और दो प्रमुख संघों के बीच वर्ष 1963-64 के लिए बोनस की गणना के संबंध में 13 दिसंबर, 1965 को एक समझौता हुआ था। आगे कहा गया कि समझौते में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों

के अनुसार बोनस की गणना का उल्लेख है और समझौते पर पहुंचने के लिए, सभी उपलब्ध और प्रासंगिक वित्तीय विवरण संघों को दिखाए गए थे जिन्होंने 1963-64 और इससे पहले के वर्षों के दौरान शेयर पूंजी और भंडार के आवंटन के आधार पर खातों को स्वीकार किया था। इसके अलावा, प्रबंधन के अनुसार, संघों में से एक ने वर्ष 1964-65 के लिए उस संघ के संबंध में डी.सी.एम. सिल्क मिल्स के प्रबंधन के साथ एक और समझौता किया था, और इन समझौतों के मद्देनजर, दिल्ली क्लॉथ मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स के कर्मकार इन दोनों इकाइयों की शेयर पूंजी और रिजर्व के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए आवंटन की शुद्धता और तर्कसंगतता पर सवाल नहीं उठा सकते।

न्यायाधिकरण ने अपने सामने रखी गई दलीलों पर विचार किया और समर्थन में उद्धृत कई निर्णयों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवाद्यक संख्या 3 में अन्तर्निहित हडताल और विवाद्यक संख्या 4 में अन्तर्निहित धरना हड़ताल संघों द्वारा विवादित थी, या उन सभी द्वारा स्वीकार नहीं की गई। ‘‘यह तय करना न्यायाधिकरण का कर्तव्य होगा कि क्या डी.सी.एम. में कोई हडताल हुई थी जैसा कि विवाद्यक संख्या 3 में शामिल है और क्या एस.बी.एम. में कोई धरना हडताल थी जैसा कि विवाद्यक संख्या 4 में शामिल है।’’ न्यायाधिकरण के अनुसार, यह बिल्कुल भी अपने क्षेत्राधिकार से आगे नहीं जाएगा और उपरोक्त के प्रकाश में विवाद्यक 3 और 4 का परीक्षण करने के लिए संदर्भ के दायरे और सीमा से

बाहर नहीं जाएगा और तदनुसार, न्यायाधिकरण ने माना कि पक्षकार विवाद्यक 3 और 4 के संबंध में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है, जो वे हड़ताल और धरना के तथ्य की पुष्टि या खंडन हेतु पेश करना चाहते हैं।

विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में भी, न्यायाधिकरण ने प्रबंधन की दलील को खारिज कर दिया और माना कि इस विवाद्यक के संबंध में सबूत पेश करने के लिए पक्षकार स्वतंत्र होंगे और यदि इसके दौरान यह पाया गया कि प्रबंधन द्वारा संदर्भित समझौतों के परिणामस्वरूप दावा रोक दिया गया था, तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायाधिकरण का यह निर्णय 16 जून 1966 को घोषित किया गया।

प्रबंधन ने 16 जून के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की रिट द्वारा 30 जून, 1966 को पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। 13 जुलाई, 1966 के एक आदेश द्वारा याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 133 (1) के तहत एक आवेदन द्वारा, प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति के लिए पंजाब उच्च न्यायालय का रुख किया। इसे भी 12 अगस्त, 1966 को खारिज कर दिया गया था। प्रबंधन ने तब इस न्यायालय के समक्ष तीन विशेष अनुमति याचिकाएं संख्या 1966 का 1068 से 1070 दायर की, एक न्यायाधिकरण के आदेश से, दूसरी 13 जुलाई, 1966 के उच्च न्यायालय के आदेश से और तीसरी भी 12 अगस्त, 1966 उच्च न्यायालय के आदेश से। 12 सितम्बर, 1966 को दिये गये एक आदेश द्वारा इन तीनों याचिकाओं में

विशेष अनुमति प्रदान की गयी। ये सभी अब हमारे सामने सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुयी हैं।

जिस क्रम में तर्कों को संबोधित किया गया था, उस क्रम में आगे बढ़ते हुए, हम पहले विवाद्यक 3 और 4 से निपटने का प्रस्ताव करते हैं। अधिनियम की धारा 10(1)(डी) के तहत, जहां कि समुचित सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा ''विवाद को या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को ..... न्यायनिर्णयन के लिये किसी न्यायाधिकरण को निर्देशित कर सकेगी।'' धारा 10(4) के तहत ''जहां कि किसी औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित करने वाले किसी आदेश में या किसी पश्चात्वर्ती आदेश में, समुचित सरकार ने न्यायनिर्णयन के लिए विवाद के प्रश्न विनिर्दिष्ट कर दिये हैं, वहां यथास्थिति श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अपने न्यायनिर्णयन को उन प्रश्नों एवं उनमें आनुषंगिक विषयों तक ही सीमित रखेगा।''

उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद या उससे जुड़े किसी भी मामले को न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करने के लिए समुचित सरकार स्वतंत्र है, लेकिन न्यायाधिकरण को अपने न्यायनिर्णयन को संदर्भित विवाद के बिंदुओं और उससे जुडे प्रासंगिक मामलों तक ही सीमित रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण उसे संदर्भित विवाद के दायरे को

बढ़ाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन उसे अपना ध्यान विशेष रूप से उल्लिखित बिंदुओं और उससे प्रासंगिक किसी बात तक सीमित रखना चाहिए। वेबस्टर की न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी के अनुसार प्रासंगिक शब्द का अर्थ है:

> "किसी अधिक महत्वपूर्ण चीज के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में घटित होना; घटित होना; प्रासंगिक; इसलिए, द्वितीयक या गौण, लेकिन आमतौर पर संबद्ध:"

इसलिए "विवाद के साथ प्रासंगिक" का अर्थ विवाद के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में घटित होने वाली या विवाद से जुडी हुई कोई बात होना चाहिए। विवाद मूलभूत चीज है जबकि उससे जुडी कोई चीज उसकी सहायक चीज है। इसलिए, कोई भी प्रासंगिक चीज उस मुख्य चीज की जड को नहीं काट सकती, जिसका वह सहायक है। उपरोक्त के प्रकाश में, ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरा विवाद्यक इस आधार पर तैयार किया गया था कि हडताल थी और तालाबंदी थी और यह औद्योगिक न्यायाधिकरण का काम था कि वह हडताल और तालाबंदी के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करे और इस निर्णय पर पहुंचे कि क्या उनमें से एक या दूसरा या दोनों उचित थे। जैसा कि विवाद्यक तय किया गया है, कि कामगार हडताल के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकते या प्रबंधन तालाबंदी की घोषणा से इनकार नहीं कर सकता। पक्षकारों को यह दिखाने के लिए सबूत पेश करने की अनुमति दी जानी थी कि हडताल उचित नहीं

थी या तालाबंदी अनुचित थी। तीसरे विवाद्यक में एक उप-विवाद्यक भी है, यथा, यदि तालाबंदी कानूनी नहीं थी, तो क्या श्रमिक तालाबंदी की अवधि के लिए मजदूरी के हकदार थे। इसी प्रकार, चैथा विवाद्यक इस आधार पर आगे बढता है कि 23.02.1966 को स्वतंत्र भारत मिल्स में धरना-हडताल हुई थी और प्रश्न उसके औचित्य या वैधता का था। यह किसी भी संघ के लिए नहीं था कि वह उन विवाद्यकों पर बहस करे, जो बनाये गये थे कि कोई धरना-प्रदर्शन नहीं था। धरना-प्रदर्शन के औचित्य की दलील पर उनकी सफलता हडताल की अवधि के लिए मजदूरी पर उनके दावे पर निर्भर थी।

बार में उद्धृत विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के अलावा, उपरोक्त वह दृष्टिकोण है, जिसे हम विवाद्यक 3 और 4 के संबंध में अपनाएंगे। अब हमें उद्धृत निर्णयों और उठाए गए तर्कों की जांच करनी है और देखना है कि क्या न्यायाधिकरण इस सवाल पर जाने के लिए सक्षम था कि क्या 24.02.1966 को दिल्ली क्लॉथ मिल्स में हडताल हुई थी या स्वतंत्र भारत मिल्स में धरना दिया गया था या प्रबंधन द्वारा तालाबंदी की घोषणा की गई थी।

जिस बिन्दु पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था उस पर निर्णय इस प्रकार हैं। बर्मा-शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम देयर वर्कमेन एवं अन्य (1961) 2 एल.एल.जे. 124 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पांचवें औद्योगिक

न्यायाधिकरण को संदर्भित विवादों में से एक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1956 में देय 1955 के बोनस का दावा था। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुना और कंपनियों के लिपिक कर्मचारियों और संचालकों को वर्ष 1955 के लिए बोनस के रूप में साढ़े चार महीने का मूल वेतन दिया। इस न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश में पाठ का उल्लेख किया और पाया कि संदर्भ चार अपीलकर्ताओं और नामित श्रमिक संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उनके कामगारों के बीच था। इस न्यायालय के अनुसार, अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त संघ कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में केवल श्रम, सेवा और सुरक्षा कर्मचारियों की श्रेणियों में काम करने वालों का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए प्रथम दृष्टया संघ द्वारा की गई दो मांगों में केवल संचालकों के दावे शामिल होंगे। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी भरोसा किया कि अपीलकर्ताओं ने कर्मचारियों की दो श्रेणियों के साथ स्पष्ट रूप से और अलग-अलग व्यवहार किया था। गजेन्द्र गडकर, जे. के अनुसार (जैसा कि वे तब थे) जिन्होंने न्यायालय का निर्णय सुनाया ;

> "यदि संदर्भ में लिपिकीय कर्मचारी और उनकी शिकायतें शामिल नहीं हैं तो यह लिपिकीय कर्मचारियों के सदस्यों के लिए अपने व्यक्तिगत आवेदनों द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी शिकायतें लाने का या न्यायाधिकरण के पास संदर्भ की शर्तों से परे जाकर

व्यक्तिगत आवेदनों पर विचार कर जांच का दायरा बढ़ाने का विकल्प नहीं होगा।''

तदनुसार, यह माना गया कि अपीलकर्ता यह तर्क देने में सही थे कि न्यायाधिकरण के पास अपने पंचाट में अपीलकर्ताओं द्वारा नियोजित लिपिकीय कर्मचारियों के सदस्यों को शामिल करने का कोई अधिकार नहीं था।

एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम देयर वर्कमेन एण्ड स्टाफ, (1962) 2 एल.एल.जे. 227 में संदर्भ के क्रम में निर्दिष्ट विवाद के दो विषय थे ;

(1) क्या विजयवाड़ा में आंध्र प्रभा और आंध्र प्रभा सचित्र साप्ताहिक के प्रकाशन को आंध्र प्रभा (प्राइवेट) लिमिटेड को हस्तांतरित करना उचित है और श्रमिक और कामकाजी पत्रकार किस राहत के हकदार हैं ?

(2) क्या 27 अप्रैल 1959 से श्रमिकों और कामकाजी पत्रकारों की हडताल और उसके परिणामस्वरूप एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा की गई तालाबंदी उचित है और श्रमिक और कामकाजी पत्रकार किस राहत के हकदार हैं ?

उसी दिन जब मद्रास सरकार ने संदर्भ का आदेश दिया, उसने अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत एक और आदेश जारी किया, जिसमें हडताल और अपीलार्थी के तालाबंदी जारी रखने पर रोक लगा दी गई। इस बाद के आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक

रिट याचिका दायर की और श्रमिकों ने भी एक अन्य रिट याचिका उस आदेश के खिलाफ दायर की जिसके द्वारा विवाद को निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा गया था। दूसरी याचिका के संबंध में, मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने गुण-दोष के आधार पर माना कि अपीलकर्ता ने जो किया वह तालाबंदी नहीं बल्कि समापन था और इसलिए पक्षकारों के बीच विवाद का महत्वूपर्ण हिस्सा औद्योगिक विवाद जैसा नहीं है। परिणामस्वरूप, उन्होंने कंपनी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और न्यायाधिकरण को निर्देश दिया कि वह विवादित संदर्भ द्वारा तैयार किए गए दो प्रश्नों के केवल दूसरे भाग पर विचार करे। इस आदेश में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा कुछ संशोधन किया गया। इसके बाद मामला इस न्यायालय में आया। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में भी अपीलकर्ता की याचिका पर विचार कर सकता है और टिप्पणी की;

"यदि अपीलकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई तालाबंदी नहीं है, बल्कि सद्भाविक और वास्तविक समापन है, तो ऐसे समापन के संबंध में उत्तरदाता जो विवाद उठा सकते हैं, वह बिल्कुल भी औद्योगिक विवाद नहीं है। दूसरी ओर, यदि, वास्तव में और सार रूप में, यह एक तालाबंदी है, लेकिन उक्त कार्रवाई ने समापन का भेष धारण कर लिया है और ऐसी कार्रवाई के संबंध में विवाद उठाया गया है, तो यह एक औद्योगिक विवाद होगा जिससे

निपटने के लिये औद्योगिक न्यायनिर्णयन सक्षम हैं....इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून में अपीलकर्ता प्रारंभिक चरण में भी उच्च न्यायालय जाने का हकदार है और मांग कर संतुष्ट करने का प्रयास करें कि यह विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं है और इसलिए औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास प्रस्तावित जांच शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।"

यह आगे देखा गया:

> ‘‘यदि औद्योगिक न्यायाधिकरण किसी गैर-औद्योगिक विवाद पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए आगे बढता है, तो उसे उचित रिट याचिका द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है, और उस संबंध में उचित रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
>
> यह भी सच है कि भले ही विवाद की सुनवाई औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा की जा रही हो, शुरुआत में ही, औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में इस सवाल की जांच करनी होगी कि क्या उसके पास भेजा गया विवाद एक औद्योगिक विवाद है या नहीं, और इस प्रश्न का निर्णय अनिवार्य रूप से उस दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा जो औद्योगिक न्यायाधिकरण ले सकता है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई समापन है या तालाबंदी है।

इस प्रारंभिक विवाद्यक पर औद्योगिक न्यायाधिकरण जो निष्कर्ष दर्ज कर सकता है, वह यह तय करेगा कि विवाद के गुण-दोषों से निपटने के लिए उसके पास अधिकार क्षेत्र है या नहीं।''

इसके बाद न्यायालय मामले के तथ्यों और न्यायाधिकरण के समक्ष उठाए गए तर्कों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। एक समझौते का हवाला दिया गया जो पक्षकारों के बीच हुआ था और अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत 6 नवंबर 1958 को तैयार किए गए एक ज्ञापन में शामिल था। यह समझौता ढाई साल तक संचालित होना था। प्रत्यर्थियों का मामला यह था कि कार्यवाहक श्रम मंत्री और श्रम आयुक्त की उपस्थिति में अपीलकर्ता और संघ के बीच बातचीत के दौरान, अपीलकर्ता ने इस निर्णय के संबंध में समझौते में एक खंड डालने का प्रयास किया था कि समझौते की अवधि के दौरान पेपर आंध्र प्रभा को प्रकाशन के लिए विजयवाड़ा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और श्रमिकों को पहले की तरह मद्रास में नियोजित किया जाता रहेगा और इस पर प्रत्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मौखिक आश्वासन दिया गया था कि अपीलकर्ता का व्यवसाय ढाई साल तक मद्रास में चलता रहेगा और प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि उक्त आश्वासन, प्रत्यर्थियों की सेवा की शर्तों में से एक है और अपीलकर्ता द्वारा किए गए स्थानांतरण ने सेवा की उक्त शर्त का उल्लंघन किया है और उसे महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया है। विवाद्यक 2 के संबंध में, तर्क यह था

कि वास्तव में सरकार ने इस विवाद्यक का निर्धारण कर लिया था और न्यायाधिकरण के विचार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। न्यायालय ने पाया कि इस विवाद्यक की शब्दावली अव्यवहारिक और दुर्भाग्यपूर्ण थी और अभिनिर्धारित किया कि:

> "फिर भी, जब इस प्रकार का प्रश्न न्यायालयों के समक्ष उठाया जाता है, तो न्यायालयों को संदर्भ को तकनीकी रूप से या पांडित्यपूर्ण तरीके से नहीं, बल्कि निष्पक्ष और उचित रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार इस विवाद्यक को तैयार करने में, अस्वाभाविक वाक्यांश विज्ञान से भी इस तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता कि इस विवाद्यक से निपटने में, मुख्य बिंदु जिस पर न्यायाधिकरण को विचार करना होगा वह यह है कि क्या प्रत्यर्थियों द्वारा 27 अप्रैल 1959 को की गई हड़ताल उचित थी और क्या उक्त हडताल के बाद अपीलकर्ताओं की कार्रवाई तालाबंदी थी या समापन के समान थी....इस प्रकार, विवाद्यक 2 में शामिल विवाद की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव देना सही नहीं होगा कि संदर्भ न्यायाधिकरण को अपीलकर्ता की इस दलील पर विचार करने से रोकता है कि उसने 29 अप्रैल को जो किया था, वास्तव में वह तालाबंदी नहीं बल्कि समापन है। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता की

प्रासंगिक कार्रवाई को तालाबंदी कहा जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधिकरण को इसे तालाबंदी मानना चाहिए।''

इस फैसले को न्यायाधिकरण ने इस सवाल की जांच करने का अधिकार क्षेत्र देने के रूप में संदर्भित किया है कि क्या कोई हडताल हुई थी। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्कों के समर्थन में इस निर्णय का उल्लेख किया है। प्रत्यर्थियों के अनुसार, तथ्य यह है कि न्यायाधिकरण का इस सवाल पर जाना कि क्या तालाबंदी थी या समापन था, यह दर्शाता है कि द्वितीय विवाद्यक में तालाबंदी शब्द के प्रयोग के कारण न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र सीमित नहीं था, इसलिये न्यायाधिकरण इस सवाल की जांच करने से निषिद्ध था कि क्या वहां तालाबंदी थी, जबकि अपीलकर्ताओं के अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि न्यायाधिकरण को हमेशा इस बात पर विचार करना था कि क्या संदर्भित विवाद्यक एक औद्योगिक विवाद था जिसे न्यायाधिकरण द्वारा विचारित किया जाना था, क्या कंपनी का कारोबार बंद होना तालाबंदी के कारण था, जिस पर निर्णय लेने के लिए वह सक्षम थी या क्या यह समापन के कारण था, जो बिल्कुल भी औद्योगिक विवाद नहीं था।

हमारी राय में उस मामले में रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि कंपनी पिछले कुछ समय से अपने व्यवसाय को कहीं और स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही थी और अपीलकर्ता की कार्रवाई जो

27 अप्रैल, 1959 को हडताल के बाद हुई थी, वास्तव में समापन है, तालाबंदी नहीं। उस केस के तथ्य बेहद विशिष्ट थे और फैसला उन्हीं विशिष्ट तथ्यों तक ही सीमित रहना चाहिए।

सिंडिकेट बैंक बनाम इसके कर्मचारी (1966) 2 एल.एल.जे. 194 के मामले में अपीलकर्ता बैंक और उसके कर्मचारियों के बीच सी रैंक के अधिकारियों के संबंध में एक विवाद था जिसे केंद्र सरकार ने निम्नलिखित शर्तों पर एक औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा था:-

(1) क्या केनरा इंडस्ट्रीयल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लिमिटेड, उडिपी का यह शर्त लगाना उचित है कि अधिकारी-प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति और परिवीक्षाधीन सी रैंक अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए केवल उन्हीं श्रमिकों पर विचार किया जाएगा जो वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में ऐसे अधिकारियों पर लागू बैंक के नियमों द्वारा शासित होने के लिए सहमत होंगे? यदि नहीं, तो ऐसे श्रमिक किस राहत के हकदार हैं?

(2) क्या बैंक द्वारा सी रैंक अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद निर्धारित परिवीक्षा के अलावा सी रैंक अधिकारी के रूप में नियुक्ति से पहले अधिकारी-प्रशिक्षु के रूप में बारह महीने के प्रशिक्षण की शर्त लगाना उचित है? यदि नहीं, तो श्रमिक किस राहत के हकदार हैं?

न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि संदर्भ की पहली शर्त इस धारणा पर आगे बढी कि सी रैंक के

अधिकारी बैंक के अधिकारी थे, जबकि कर्मचारियों ने आग्रह किया कि यह प्रश्न कि क्या सी रैंक के अधिकारी कर्मचारी थे, संदर्भ की पहली शर्त में निहित था। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों की दलील स्वीकार कर ली और उस प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दिया। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सी रैंक के अधिकारी कर्मचारी थे। इस सवाल पर कि क्या यह शर्त लगाना कि कर्मचारियों को केवल तभी सी रैंक अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया जाएगा यदि वे इस शर्त को स्वीकार करते हैं कि वे बैंक के नियमों द्वारा शासित होंगे, तो यह अपीलार्थी के खिलाफ पाया गया। इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि सी रैंक के अधिकारियों की स्थिति के सवाल पर कोई संदर्भ नहीं था और न्यायाधिकरण संदर्भ की शर्तों से परे चला गया जब उसने निर्णय किया कि सी रैंक के अधिकारी कर्मचारी थे। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था:

> "कि संदर्भ की पहली शर्त में यह प्रश्न अंतर्निहित था कि क्या सी रैंक के अधिकारी कर्मचारी थे या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता, तो संदर्भ का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर सी रैंक के अधिकारियों को गैर-कर्मचारी माना जाता, तो बैंक अपने अधिकारियों के संबंध में सेवा की शर्तें निर्धारित करने में उचित होगा और बैंक द्वारा अपने उन

अधिकारियों पर लगाई गई शर्तों के संबंध में अधिनियम के तहत कोई संदर्भ नहीं होगा जो कर्मचारी नहीं थे।''

अंतिम उल्लेखित मामले में, इस प्रश्न की जांच न्यायाधिकरण द्वारा की जानी थी कि क्या सी रैंक के अधिकारी कर्मचारी थे, यदि वे नहीं थे, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कोई संदर्भ नहीं हो सकता था। हमारे सामने जो मामला है, उसमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। मौजूदा मामले में संदर्भ की तीसरी और चैथी शर्तें इस आधार पर स्थापित की गई हैं कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स में हडताल हुई थी और स्वतंत्र भारत मिल्स में धरना दिया गया था और दिल्ली क्लॉथ मिल्स के प्रबंधन द्वारा 24.02.1966 को तालाबंदी की घोषणा की गई थी। संदर्भ के आदेश पर, कर्मकार न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क देने में सक्षम नहीं थे कि वहां कोई हडताल नहीं हुई थी, समान रूप से, प्रबंधन के लिए भी यह तर्क देने का विकल्प नहीं था कि उसके द्वारा कोई तालाबंदी की घोषणा नहीं की गई थी। पक्षकारों को अपने-अपने मामलों के बयान के जरिए न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसे तथ्य और तर्क रखने की अनुमति दी जाएगी, जो उनके आचरण या उनके रुख को स्पष्ट करेंगे, लेकिन उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि संदर्भ का आदेश गलत तरीके से लिखा गया था और संदर्भ के क्रम का आधार ही चुनौती के लिए खुला था। चर्चा किए गए मामलों से पता चलता है कि पक्षकार यह दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं कि संदर्भित विवाद बिल्कुल भी औद्योगिक विवाद नहीं था और यह

निश्चित रूप से उनके लिये खुला है कि वे न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद के प्रभावों को सामने लाये,। लेकिन उन्हें संदर्भ के क्रम में निर्धारित विवाद्यक के मूल आधार को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रत्यर्थियों की ओर से, श्री चारी ने हमारे सामने चार प्रस्ताव रखे, जिन पर उनके अनुसार न्यायाधिकरण को इन दो विवाद्यकों पर निर्णय लेने से पहले विचार करना होगा। वे थेः

(i) यह तथ्य कि संदर्भ के क्रम में विवाद का पाठ किया गया था, यह नहीं दर्शाता कि सरकार विवाद पर किसी निर्णय पर पहुंची थी, (ii) संदर्भ के आदेश ने केवल न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया क्योंकि यह विवाद के शीर्षों या बिंदुओं से परे जाने में सक्षम नहीं था, (iii) सरकार के आदेश में उल्लिखित हर पाठ का खंडन नहीं किया जा सकता, और (iv) विवाद का दायरा तय करने के लिए पक्षकारों की दलीलों को संदर्भित करना आवश्यक था। पहले दो बिंदुओं पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। तीसरे प्रस्ताव की शुद्धता पाठ की भाषा पर निर्भर करेगी।

जहां तक चौथे प्रस्ताव का सम्बन्ध है, श्री चारी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण को यह देखने के लिए पक्षकारों की दलीलों की जांच करनी थी कि क्या कोई हडताल हुई थी। हमारी राय में, न्यायाधिकरण को, किसी भी स्थिति में, विवाद की सटीक प्रकृति का पता लगाने के लिए पक्षकारों के अभिवचनों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में संदर्भ

का क्रम इतना गूढ है कि उसमें से विभिन्न बिन्दुओं को निकालना असंभव है, जिनके बारे में पक्षकारों में मतभेद थे, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई। इस मामले में, संदर्भ का आदेश सुलह अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित था और यह निश्चित रूप से प्रबंधन के लिए यह दिखाने के लिये खुला था कि जिस विवाद को संदर्भित किया गया था वह कोई औद्योगिक विवाद नहीं था, जिससे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार को आकर्षित किया जा सके। कार्यवाही करना। लेकिन पक्षकारों को एक स्तर आगे जाकर यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि संदर्भ के क्रम में उल्लिखित विवाद की नींव अस्तित्वहीन थी और असली विवाद कुछ और था। अधिनियम की धारा 10(4) के तहत न्यायाधिकरण इस तरह के प्रश्न पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं है।

हमारी राय में, इसलिए, न्यायाधिकरण को विवाद्यक 3 और 4 की जांच इस आधार पर करनी थी कि डी.सी.एम. इकाई में हडताल थी और स्वतंत्र भारत मिल्स में धरना था और पूर्व के संबंध में तालाबंदी की घोषणा की गई थी जैसा कि संदर्भ की तीसरी शर्त में कहा गया है। न्यायाधिकरण को केवल इस सवाल पर सबूतों की जांच करनी थी कि क्या हडतालें उचित और कानूनी थीं। इसके बाद उसे इस निर्णय पर आना था कि क्या श्रमिक दिल्ली क्लॉथ मिल्स में तालाबंदी की अवधि के लिए और स्वतंत्र भारत मिल्स में धरने की अवधि के लिए मजदूरी के हकदार थे।

पहले विवाद्यक के संबंध में, श्री सीतलवाड ने तर्क दिया कि पक्षकारों के बीच एक बाध्यकारी समझौता था जिसे समाप्त नहीं किया गया था या जो समाप्त नहीं हुआ था और परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण को इस प्रश्न पर जाना था और यदि यह इस निष्कर्ष पर आया कि ऐसा कोई बाध्यकारी समझौता था, उसे मामले की आगे जांच करने से रोक दिया गया। प्रत्यर्थियों के लिए श्री चारी ने इस प्रस्ताव पर विवाद नहीं किया, लेकिन, उनके अनुसार, प्रबंधन द्वारा दावा किए गए अनुसार पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं था। इसलिए हमें उन दस्तावेजों का संदर्भ लेना होगा जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था कि क्या ऐसा कोई समझौता था। पहला विवाद्यक 30 जून 1965 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए बोनस तालिका की गणना के लिए दो इकाइयों, अर्थात् दिल्ली क्लॉथ मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स को कंपनी की पूंजी और रिजर्व के आवंटन से संबंधित है। श्री सीतलवाड के अनुसार, इस तरह के आवंटन को पिछले वर्ष के संबंध में श्रमिकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और पक्षकारों के बीच समझौता उस वर्ष तक सीमित नहीं था। श्री चारी ने इसे स्वीकार नहीं किया। श्री चारी ने हमें 9 अप्रैल 1966 को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रबंधन के मामले के बयान का उल्लेख किया। पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (डी) में, प्रबंधन द्वारा यह कहा गया था:

> "आवंटन की विधि और आधार पिछले कई वर्षों से हर साल लगातार अपनाया जाता रहा है और हर साल श्रमिकों

द्वारा इसे स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जाता रहा है। सुलह के दौरान वर्ष 1963-64 के लिए बोनस के भुगतान के संबंध में किए गए समझौते में इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। 13 दिसंबर 1965 के समझौते की एक प्रति इसके संलग्नक के साथ संलग्न है, (अनुलग्नक बी)।''

उप-पैरा (ई) में यह कहा गया था:

''कंपनी की अन्य कपडा इकाइयों (अर्थात, हिसार टेक्सटाइल मिल्स, हिसार और डी.सी.एम) के श्रमिकों को बोनस के भुगतान के लिए उपलब्ध अधिशेष के निर्धारण के उद्देश्य से समान रूप से समान पद्धति और समान आधार पर आवंटन किया गया है। इन इकाइयों के श्रमिकों ने इन इकाइयों के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संबंधित संघों के साथ किए गए समझौतों के तहत वर्ष 1964-65 के लिए बोनस के भुगतान के संबंध में इस आवंटन को स्वीकार कर लिया है।''

कंपनी की कई इकाइयाँ हैं और ऊपर उप-पैराग्राफ (ई) में उल्लिखित दो इकाइयाँ उन इकाइयों से भिन्न हैं जिनसे हमें इस मामले में निपटना है। नतीजतन, जहां तक इस मामले में विवाद का सवाल है, इन दोनों इकाइयों के संबंध में प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कोई भी समझौता

बाध्यकारी नहीं हो सकता है। फिर हमें उप-पैरा (डी) में उल्लिखित समझौते की प्रकृति पर विचार करना होगा। इस संबंध में पहला दस्तावेज दिनांक 27 अक्टूबर, 1964 का है, जो एक ओर दिल्ली क्लॉथ मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स की ओर से और दूसरी ओर हमारे सामने के दो प्रत्यर्थियों, कपडा मजदूर एकता यूनियन और टेक्सटाइल मजदूर संघ, दिल्ली की ओर से निष्पादित किया गया था। समझौते की शर्तों के पहले उपवाक्य का सुसंगत भाग इस प्रकार है:

> "बोनस कमीशन फॉर्मूला के अनुसार, जिसे सरकार ने संकल्प संख्या....., दिनांक 02.09.1964 द्वारा स्वीकृत और संशोधित किया है, कंपनी की दो कपडा इकाइयों अर्थात् दिल्ली क्लॉथ मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स के श्रमिकों को देय बोनस की दर कुल कमाई अर्थात मूल मजदूरी और उच्च लागत भत्ता सहित महंगाई भत्ता की 7.33 प्रतिशत होगी।"

दूसरे उपवाक्य के अनुसार:

> "हालांकि, कंपनी ने सद्भावना के संकेत के रूप में और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढावा देने के लिए, 30 जून 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऊपर परिभाषित कुल औसत मजदूरी आय के 8-1/3 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। यूनियनों ने सभी

लंबित बोनस विवादों को बिना शर्त वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है।''

उपवाक्य 3 इस प्रकार है:

''कंपनी इस बात से सहमत है कि यदि इसके बाद सरकार द्वारा बोनस कमीशन के फॉर्मूले में कोई और बदलाव या संशोधन किया जाता है, तो इसके लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 30.06.64 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बोनस के रूप में वितरित की जाने वाली कुल राशि में कोई वृद्धि होगी, तो श्रमिक इसका लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस बात पर सहमति दी गई कि वर्ष 1963-64 के लिए बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते और पूंजी और भंडार आदि सहित किसी भी आवंटन के लेखापरीक्षित आंकडें को यूनियनों द्वारा चुनौती नहीं दी जायेगी।''

उपवाक्य 4 के अनुसार:

''यूनियन वर्ष 1960-61, 1961-62 और 1962-63 के लिए अतिरिक्त बोनस के भुगतान के संबंध में अपने विवादों को बिना शर्त वापस लेने पर सहमत हैं। बोनस कमीशन फॉर्मूले में कोई और संशोधन या परिवर्तन इन वर्षों को प्रभावित नहीं करेगा।''

उपवाक्य 5, 6 और 7 प्रासंगिक नहीं हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यह समझौता पूर्णतया वर्ष 1960-61, 1961-62, 1962-63 तथा 1963-64 से संबंधित है। वर्ष 1964-65 के संबंध में आवंटन के किसी भी आंकडे को स्वीकार करने के लिए श्रमिकों के बाध्य होने के बारे में कहीं भी कोई बयान नहीं है।

एकमात्र अन्य दस्तावेज जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, उसकी तारीख 13.12.1965 है और इसे भी उन्हीं पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया गया था। दस्तावेज को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला मामले का संक्षिप्त विवरण और दूसरा आठ पैराग्राफों में विभाजित समझौता की शर्तें हैं। मामले के विवरण से पता चलता है कि 30 जून 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बोनस का भुगतान दो कपडा मिलों के श्रमिकों को प्रबंधन और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कपडा मजदूर एकता यूनियन के बीच 27.10.1964 के समझौते के अनुसार किया गया था और भुगतान सरकार द्वारा स्वीकृत और संशोधित बोनस कमीशन फॉर्मूला के अनुसार किया गया था। उपरोक्त समझौते के तहत, यह सहमति हुई कि यदि सरकार द्वारा बोनस फॉर्मूला में कोई और बदलाव या संशोधन किया जाता है, तो कर्मचारी उसका लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। कर्मचारियों ने दिनांक 27.10.1964 के समझौते के पैरा 3 की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त बोनस की मांग उठाई थी। कपडा मजदूर एकता यूनियन और कपडा मजदूर संघ, जो दिल्ली क्लॉथ मिल्स और स्वतंत्र

भारत मिल्स के श्रमिकों के भारी बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने अतिरिक्त बोनस की इस मांग के निपटारे के लिए सुलह अधिकारी को आवेदन दिया था। सुलह अधिकारी की सहायता एवं सहयोग से आपसी बातचीत के बाद दोनों पक्ष निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर मामले को निपटाने पर सहमत हुए। समझौते की शर्तें निम्नानुसार है:-. पहला इस आशय का है कि कर्मचारी 27.10.1964 के समझौते को दोहराते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं। दूसरा खंड इस आशय का है कि पक्षकार 30.06.1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए देय बोनस की मात्रा की गणना बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की 6 और 7 के तहत निर्धारित सूत्र के आधार पर करने के लिए सहमत है, जिसमें उस आधार पर दिल्ली क्लॉथ मिल्स और स्वतंत्र भारत मिल्स के एकत्रित मुनाफे की गणना की गई। इसके अनुसार देय बोनस की कुल राशि 30.25 लाख रुपये और देय बोनस की दर कुल आय के 10.43 प्रतिशत थी, जो किसी आधार वर्ष पर आधारित नहीं थी। खण्ड 3 के अनुसार कंपनी 30.06.1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्रमिकों को कुल आय के 3.10 प्रतिशत की दर से बोनस की अतिरिक्त शेष राशि का भुगतान तीन दिनों की अवधि के भीतर करने पर सहमत हुई। खण्ड 4 तात्विक नहीं है. खण्ड 5 के अनुसार, वर्ष 1960-61, 1961-62 और 1962-63 के विवादों को वापस लेने के प्रतिफल में कंपनी द्वारा 2.90 लाख रुपये का भुगतान किया गया, इस पर सहमति हुई कि कंपनी 2.90 लाख रुपये की उस राशि को वर्ष के लिए श्रमिकों को

देय बोनस की कुल राशि के मुकाबले समायोजित करने की हकदार होगी जिसमें न्यायालय के किसी निर्णय के परिणामस्वरूप वर्ष 1964-65 के बाद ऐसे बकाया, यदि कोई हो, का वास्तविक वितरण, करना पड़ सकता है। खंड 6 इस प्रकार है:-

> "इसके अलावा पक्षकारों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि वर्ष 1964-65 के लिए देय बोनस की दर की गणना बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत निर्धारित सूत्र के आधार पर की जाएगी। हालांकि यह कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक के तुरंत बाद किया जाएगा जिसमें उपरोक्त वर्ष के खातांे को शेयर धारकों द्वारा पारित किया जायेगा। इस वर्ष के लिए बोनस का वास्तविक वितरण वार्षिक आम बैठक के आयोजन के 15 दिनों के बाद शुरू होगा। यदि बोनस की दर के संबंध में कोई समझौता हो जाता है, तो इसके लिए बातचीत तुरंत शुरू हो जाएगी।"

उपरोक्त से यह देखा जाएगा कि संपूर्ण समझौता 30 जून, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अतिरिक्त बोनस के संबंध में था और केवल खण्ड 6 का कुछ संबंध वर्ष 1964-65 के देय बोनस से था। इस संबंध में वास्तव में कोई समझौता नहीं था सिवाय इसके कि बोनस की दर बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 6 और 7 में निर्धारित सूत्र के आधार पर होगी। बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 6 दर्शाती है कि अधिनियम की

धारा 5 के तहत उपलब्ध अधिशेष की गणना के लिए पूर्व शुल्क के रूप में सकल लाभ से कितनी राशि काटी जानी है। धारा 7 धारा 6 के खण्ड (सी) के प्रयोजन के लिए निर्धारित करती है कि किसी भी लेखांकन वर्ष के लिए नियोक्ता द्वारा देय किसी भी प्रत्यक्ष कर की गणना, उल्लिखित प्रावधानों के अधीन, उस वर्ष के लिए नियोक्ता की आय पर लागू दरों पर की जाएगी। इसलिए, खंड 6 केवल यह निर्धारित करता है कि पक्षकार बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 6 और 7 में निर्धारित सूत्र के आधार पर आगे बढ़ सकती हैं। खण्ड 6 के अंतिम भाग से पता चलता है कि पक्षकारों ने विचार किया कि वे बोनस की दर के संबंध में एक समझौते पर पहुंचने में सक्षम होंगे जिसके लिए बातचीत तुरंत शुरू होनी थी। इससे, वर्ष 1964-65 के लिए बोनस या बोनस विवरण की गणना में दोनों इकाइयों को कंपनी की पूंजी और भंडार के आवंटन के संबंध में पक्षकारों के बीच किसी भी समझौते का वर्णन करना असंभव है।

इसलिए, हमारे विचार में, विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में पक्षकार किसी भी समझौते से बाध्य नहीं थे और न्यायाधिकरण को उस विवाद्यक पर निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य लेना होगा।

परिणामस्वरूप, विवाद्यक 3 और 4 के संबंध में प्रबंधन की प्रारंभिक आपत्ति सफल हो जाती है जबकि विवाद्यक संख्या 1 पर यह विफल हो जाती है।

1966 की अपील संख्या 2101 और 2102 जो उच्च न्यायालय के आदेशों से हैं, लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज की जाती हैं। जहां तक अपील संख्या 2100/1966 का सम्बन्ध है, मामला ऊपर दी गई टिप्पणियों के आलोक में निर्णय के लिए न्यायाधिकरण में वापस जाएगा। इस अदालत में विभाजित सफलता को देखते हुए, इस अपील की लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

वी.पी.एस.

अपील संख्या 2100/66 रिमाण्ड

की गई,अन्य अपीलें खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी तरुण कांत तिवाड़ी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।